यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ऊधम सिंह नगर के माह 04/2008 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.09.2018 से 10.09.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ऊधम सिंह नगर द्वारा जनपद में संचालित समस्त प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. **कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त ऊधम सिंह नगर जनपद है।**

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2008-09	-	-	65.57	18.85	11.50	0.00	-	58.22
2009-10	-	-	104.81	64.78	-	-	-	40.03
2010-11	-	-	133.08	132.94	-	-	-	0.14
2011-12	-	-	166.86	166.59	-	-	-	0.27
2012-13	-	-	168.37	167.89	49.74	49.74	-	0.48
2013-14	-	-	197.01	197.01	-	-	-	0.00
2014-15	-	-	239.56	239.56	49.74	49.74	-	0.00
2015-16	-	-	245.03	245.03	-	-	-	0.00
2016-17	-	-	272.61	272.61	175.00	175.00	-	0.00
2017-18	-	-	286.85	286.85	30.00	30.00	-	0.00
2018-19 08/2018 तक	-	-	251.95	123.29	-	-	-	128.66

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2008-09 से 2018-19	शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण
4. अपर निदेशक एस सी ई आर टी उत्तराखण्ड
5. प्राचार्य

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ऊधम सिंह नगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ऊधम सिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017, 02/2015 एवं 03/2013 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो "ब"

प्रस्तर:1- पुनरीक्षित लागत होने के बाद भी 12 वर्षों से निर्माण कार्य अपूर्ण

कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, हल्द्वानी की माह मई 2018 की इकाई से संबन्धित निर्माण कार्यों की प्रगति आख्या के अनुसार शासनादेश संख्या 5ख-3/ 62670-93/ शिक्षक शिक्षा/ 2012-13 दिनांक 13 मार्च 2013 द्वारा ₹497.40 लाख की लागत से जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए, इस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नियत किया गया, आख्या के अनुसार वर्तमान समय तक उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यादायी संस्था को ₹404.28 लाख अवमुक्त किए जा चुके थे तथा उक्त कार्य की भौतिक प्रगति 75%थी। उक्त निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 23-02-2006 को शासनादेश संख्या 155/23-3/2006 द्वारा दी गयी थी एवं उक्त कार्य हेतु ₹149.80 लाख लागत तय की गयी थी, प्राथमिक रूप से निर्माण कार्य हेतु छात्रावास भवन, प्रशासनिक भवन एवं प्रधानाचार्य आवास का निर्माण स्वीकृत किया गया था। दिनांक 13-7-2011 को ₹497.40 लाख का पुनरीक्षित आगणन दर सूची के पुनः पुनरीक्षित हो जाने के कारण निदेशालय को प्रेषित किया गया। इस प्रकार जो कार्य वर्ष 2006-07 में ₹149.80 लाख में पूर्ण किया जाना था वह अद्यतन अपूर्ण था। कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि माह नवम्बर 2018 वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ किया गया निर्माण कार्य वर्ष 2018-19 तक भी अपूर्ण ही है जिसकी भौतिक प्रगति 75% है, जिसके निर्माण हेतु ₹404 लाख अवमुक्त किए जा चुके है अद्यतन धनाभाव के कारण अपूर्ण है साथ ही धनाभाव के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण रहने पर पुनः लागत वृद्धि की संभावना होने के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि इस संबंध में कार्यदायी संस्था से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा, इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्था को धन उपलब्ध कराना इकाई/ विभाग का उत्तरदायित्व था न कि कार्यदायी संस्था का।

धनाभाव के कारण निर्माण कार्य के लगभग 12 वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी अपूर्ण रहने एवं लागत वृद्धि की संभावना का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- ₹ 50.00 लाख की लागत से बहुद्देशीय हाल का अधोमानक कार्य।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, उधम सिंह नगर की माह 08/2018 की मासिक प्रगति आख्या के अनुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण रुद्रपुर में एक बहुद्देशीय हाल के निर्माण कार्य ₹50.00 लाख की लागत से कराया जा रहा था, आख्या के अनुसार निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 100% थी, एवं निर्मित इमारत के हस्तांतरण हेतु प्रपत्र इकाई को प्रेषित किए गए थे। इस दौरान अपर निदेशक एससीईआरटी उत्तराखंड देहारादून के पत्र संख्या एससीईआरटी/1693/VII-1(02)-4 शि शि निर्माण/ 2018-19 दिनांक 13 जुलाई 2018 द्वारा प्राचार्य डाइट रुद्रपुर को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य को नियमानुसार पूर्ण कराना डायट का दायित्व है। तृतीय पक्ष की आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण करवाने के पश्चात ही हस्तगत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें, अनियमितता की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। पत्रावली की जांच में यह भी पाया गया कि इकाई की ओर से भी इस आशय का एक पत्र कार्यदायी संस्था को लिखा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूंछे जाने पर कि कार्य दायी संस्था द्वारा उक्त निर्माण कार्य की त्रुटियों के निराकरण के संबंध में क्या कोई कदम उठाए गए अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा तृतीय पक्ष द्वारा इंगित कराई गयी कमियों के निराकरण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया चूंकि तृतीय पक्ष द्वारा जांच के दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे और उनके द्वारा तृतीय पक्ष की आख्या में सहमति के हस्ताक्षर किए गये थे अतः त्रुटियों का निराकरण कार्यदायी संस्था द्वारा न किया जाना एवं तृतीय पक्ष की आख्या की संस्तुति कार्यदायी संस्था द्वारा किए गई कार्य को अधोमानक प्रमाणित करती है।

₹ 50.00 लाख की लागत से किए गए अधोमानक कार्य का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	प्रथम लेखापरीक्षा	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		शून्य		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……Nil……

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ऊधम सिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य ।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

01	डा. मुकुल कुमार सती	वरिष्ठ प्रवक्ता (प्रभारी)	26.05.06 से 30.07.06
02	श्रीमती मनोरमा यादव	उप प्राचार्य	31.07.06 से 12.01.07
03	डा. मुकुल कुमार सती	प्रधानाचार्य (प्रभारी)	13.01.07 से 27.10.07
04	श्री रजई सिंह यादव	प्राचार्य	30.10.07 से 03.03.08
05	डा. जितेन्द्र सिंह यादव	उप प्राचार्य	04.03.08 से 25.03.08
06	श्री आलमगीर खान	प्राचार्य	25.03.08 से 06.08.09
07	श्री दीनदयाल चौधरी	प्राचार्य	06.08.09 से 31.12.13
08	श्री हरेन्द्र कुमार मिश्रा	वरिष्ठ प्रवक्ता (प्रभारी)	01.01.14 से 17.01.14
09	श्री विनोद कुमार टमटा	प्राचार्य	18.01.14 से 31.08.16
10	श्रीमती सविता श्रीवास्तव	वरिष्ठ प्रवक्ता (प्रभारी)	01.09.16 से 30.09.16
11	श्रीमती सपना सिंह	वरिष्ठ प्रवक्ता (प्रभारी)	01.10.16 से 10.11.16
12	श्री धर्म सिंह रावत	प्राचार्य	11.11.16 से अद्यतन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.